कपड़ा मंत्रालय

मांग संख्या 96

कपड़ा मंत्रालय

क. वसूलियॉ और प्राप्तियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		3123.31	764.42	3887.73	4821.00	726.70	5547.70	3490.00	612.95	4102.95	3438.32	697.78	4136.10
पूंजी		***7.63***	*20.16*	*27.79*	*10.00*	*139.73*	*149.73*	*10.00*	*70.59*	*80.59*	*85.00*	*53.70*	*138.70*
जोड़		**3130.94**	**784.58**	**3915.52**	**4831.00**	**866.43**	**5697.43**	**3500.00**	**683.54**	**4183.54**	**3523.32**	**751.48**	**4274.80**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	16.32	16.32	...	22.00	22.00	...	22.00	22.00	...	25.00	25.00
ग्राम और लघु उद्योग													
हथकरघा उद्योग													
2. हथकरघा संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं													
2.01 राष्ट्रीय हथकरघा विकास योजना	2851	2.39	...	2.39	52.00	...	52.00	43.20	...	43.20	115.00	...	115.00
	4851	...	...	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
	जोड़	*2.39*	...	*2.39*	*62.00*	...	*62.00*	*53.20*	...	*53.20*	*125.00*	...	*125.00*
2.02 व्यापक हथकरघा विकास योजना	2851	46.46	...	46.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	61.81	...	61.81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4851	7.63	...	7.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*115.90*	...	*115.90*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.03 हथकरघों के पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्संरचना पैकेज	2851	269.79	...	269.79	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- हथकरघा संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		*388.08*	...	*388.08*	*62.00*	...	*62.00*	*53.20*	...	*53.20*	*125.00*	...	*125.00*
3. अन्य हथकरघा योजनाएं													
3.01 बुनकर सेवा केन्द्र	2851	...	31.10	31.10	...	33.00	33.00	...	32.26	32.26	...	38.00	38.00
3.02 हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना	2851	66.00	...	66.00	54.50	...	54.50	27.50	...	27.50	15.00	...	15.00
	3601	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*66.00*	...	*66.00*	*55.00*	...	*55.00*	*27.50*	...	*27.50*	*15.00*	...	*15.00*
3.03 मिल गेट मूल्य योजना/यार्न आपूर्ति योजना	2851	96.86	...	96.86	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	140.00	...	140.00
3.04 संचित हथकरघा स्टॉक की बिक्री पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट अनुदान	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
स्कीम	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	3601	...	5.19	5.19	...	0.01	0.01	...	9.52	9.52	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	*5.19*	*5.19*	...	*0.01*	*0.01*	...	*9.52*	*9.52*	...	...	...
3.05	2851	...	...	...	...	...	...	6.80	...	6.80	5.00	...	5.00
	4851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75.00	...	75.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*6.80*	...	*6.80*	*80.00*	...	*80.00*
3.06 अन्य	2851	...	27.12	27.12	...	33.50	33.50	...	24.16	24.16	...	37.00	37.00
	3601	...	3.28	3.28	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	5.00	5.00
	जोड़	...	*30.40*	*30.40*	...	*37.50*	*37.50*	...	*28.16*	*28.16*	...	*42.00*	*42.00*
जोड़- अन्य हथकरघा योजनाएं		*162.86*	*66.69*	*229.55*	*180.00*	*70.51*	*250.51*	*159.30*	*69.94*	*229.24*	*235.00*	*80.00*	*315.00*
जोड़-हथकरघा उद्योग		**550.94**	**66.69**	**617.63**	**242.00**	**70.51**	**312.51**	**212.50**	**69.94**	**282.44**	**360.00**	**80.00**	**440.00**
हथकरघा उद्योग													
4. अन्य हस्तशिल्प योजनाएं													

10. **वस्त्र आयुक्त:** वस्त्र आयुक्त विनियामक आदेशों को क्रियान्वित करता है, विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का संचालन करता है,प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करता है, वस्त्रों आदि के लिए डाटाबेस का रखरखाव करता है।

11. **वस्त्र समिति को सहायता:** वस्त्र समिति को निर्यात के लिए वस्त्र और वस्त्र मशीनरी का लदानपूर्व निरीक्षण करने के लिए भुगतान की व्यवस्था है ।

12.01. **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) को अनुदान:** इस योजना में केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण प्रावधानों और सामान्य श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या बनाए रखने की तर्ज पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रों में अधिक छात्रों को प्रवेश देने हेतु अवसरंचना विकास के लिए प्रावधान शामिल है । अन्य के अतिरिक्त इस खाते में हुआ व्यय मुख्यतया निर्माण और प्रशिक्षण सहायता के लिए होगा।

12.02. **अनुसंधान और विकास:** इसमें वस्त्र मंत्रालय में अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों/परियोजनाओं को शुरू करने की व्यवस्था शामिल है ।

12.03. **वस्त्र श्रमिक पुनर्वास योजना:** इस योजना में मिलों के बंद हो जाने के फलस्वरूप अपना रोजगार गंवाने वाले कामगारों के लिए परिवर्ती समायोजन के लिए अंतरिम राहत की व्यवस्था है ताकि वे अन्य रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें ।

12.05. **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस):** इस योजना में ऋणदाता एजेंसियों द्वारा वास्तविक रूप से प्रभारित ब्याज में से 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है ताकि वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए सुगमता से निवेश हो सके । यह योजना नोडल एजेंसियों (आईडीबीआई, सिडबी, आईएफसीआई और प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों) द्वारा चलाई जा रही है ।

12.06. **भारतीय कपास निगम द्वारा समर्थन मूल्य के तहत कपास की खरीद:** भारतीय कपास निगम, समर्थन मूल्य अभियान चलाने के लिए अधिस्थापित है । जब कभी कपास का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूता/नीचे चला जाता है तो भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य अभियान चलाता है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद करता है । समर्थन मूल्य अभियान से यदि कोई हानि होती है तो सरकार भारतीय कपास निगम को उसकी प्रतिपूर्ति करती है।

12.07. **एईपीसी को अनुदान:** यह प्रावधान परियोजनाओं के लिए अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) को भुगतान के लिए है ।

12.08. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी):** एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, (एसआईटीपी) अपैरल वस्त्र पार्कों को मिलाकर और वस्त्र विकास केंद्रों की अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन कर शुरू की गई है । एसआईटीपी शुरू करने का एक प्रमुख उद्देश्य उद्योग को अपनी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए विश्व स्तरीय अवसरंचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है । इस योजना से वस्त्र इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने में सहायता मिलेगी ।

12.09. **योजना पूवोत्तर क्षेत्र में भूवसन के प्रयोग के लिए:** पूवोत्तर क्षेत्र में भूवसन के संवधर्न और अनुप्रयोग के लिए एक आयोजना स्कीम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। पूवोत्तर क्षेत्र में आधुनिक किफायती प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की प्रायोगिक परियोजनाओं के जरिए पूवोत्तर के विकास में भू-वस्त्रोद्योग का प्रयोग करने का लक्ष्य है। संभावित क्षेत्र जहां भू-वस्त्रोद्योग का प्रयोग किया जा सकता है, वे ये हैं-नई सड़कें, रिवर बैंक इरोजन कंट्रोल, पहाड़ों में स्लोप इरोजन कंट्रोल।

12.10. **पूवोत्तर क्षेत्र में एग्रोटेक्सटाईल्स के संवरर्धन की योजना:** पूवोत्तर क्षेत्र के बागवानी और पुष्पोत्पादन उपज में सुधार में एग्रोटेक्सटाईल्स का उपयोग करने का लक्ष्य है। एग्रोटेक्सटाईल्स की बढती स्वीकार्यता के चलते देश में एग्रोटेक्सटाईल्स उत्पादन के क्षेत्र में उद्यमशीलता को प्रेरणा मिलेगी। देश में एग्रोटेक्सटाईल्स उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि होने के चलते देश में किसानों के साथ-साथ वस्त्रोद्योग के उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

12.11. **पूर्वोत्तर क्षेत्र कपड़ा संवर्धन स्कीम:** यह स्कीम सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में कपड़ा संवर्धन के लिए शुरु की गई है।

12.12. **मजदूरों के लिए निवास:** इस योजना का उद्देश्य, वस्त्र और परिधान उद्योग की सघनता वाले क्षेत्रों में होस्टेल के रूप में निकट में ही श्रमिकों के लिए सुरक्षित पर्याप्त सुलभ आवास दिलाना है।

12.13. **फ्लैट फैक्टरी सह इन्क्यूबेटर:** यह उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र आधारित एक एकीकृत कार्यक्षेत्र और संबंधों को बनाने के लिए शुरूआती योजना है। इस एकीकृत कार्यक्षेत्र और संबद्ध सेवाओं उद्यमियों को उनके विचारों पर अमल और सक्रिय और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है कि एक प्रक्रिया के माध्यम से अपने उत्पादों को वितरित करने की अनुमति होगी.

12.15. **तकनीकी वस्त्र: (टी.एम.टी.टी.):** इसका उद्देश्य परीक्षण सुविधाओं, बाजार विकास सहायता के अभाव, दक्ष जनशक्ति, अनुसंधान एवं विकास, उन्नत नियामक उपायों, तकनीकी वस्त्रों आदि के लिए विनिर्दिष्टियां एवं मानक तैयार करने के रूप में आधारभूत अवसंरचना का सुधार करना है।

12.16. **मानव संसाधन विकास (आइ एस डी एस):** सामान्यत: इसे एकीकृत कौशल विकास योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना कौशल सृजन पर सरकार के व्यापक बल का अंग है अर्थात विनिर्माण एवं वस्त्र क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धात्मकता लाभ को बढाने के लिए आवश्यक है।

12.17. **सामान्य अनुपालन कोड::** इस योजना का उद्देश्य अपैरल, विनिर्माण तथा निर्यात में सामाजिक अनुपालन हेतु भारत को वैश्विक बैंचमार्क बनाना है। इससे परिधान निर्यातकों के लिए अनुपालन मानकों की जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य अनुपालन मानकों की समझ सृजित होगी ।

12.18. **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (एस.पी.पी.):** इस योजना का उद्देश्य वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग को पर्यावरणानुकूल प्रसंस्करण मानक और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने में सुविधाएं प्रदान करना और कारपोरेट निकाय में साम्या रखने वाले उद्यमियों के समूह द्वारा संवद्धित एंव प्रबंधित एक विशेष परियोजना तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर विशेषकर जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नए प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना करना तथा मौजूदा प्रसंस्करण समूहों /केंद्रों का उन्नयन करना है।

13. **पटसन आयुक्त:** पटसन आयुक्त भारत में पटसन उद्योग के विकास की देखभाल करता है। वह पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश 1956 और पटसन (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1961 को भी संचालित करता है जिसे अब समामेलित कर दिया गया है और जो पटसन और पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 2000 के रूप में ज्ञात है।

14. **पटसन आदि के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम:** (i) राष्ट्रीय पटसन विविधीकृत केंद्र, पटसन सेवा केंद्र, कच्ची पटसन सामग्री बैंक, डिजाइन विकास, बाजार सहायता, पटसन उद्यमी सहायता और विविधीकृत पटसन क्षेत्र के विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में पटसन विविधीकरण क्रियाकलापों के लिए योजनाएं चलाता है। (ii) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विविधिकरण तथा बाजार विकास आधुनिकीकरण जमा मशीनरी के माध्यम से मूल्यवर्धन एवं बाजार पहुंच और कौशल उन्नयन अनुसंधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्थापित करना, पटसन विनिर्माण विकास परिषद को अनुदान, बाजार अभियान के लिए भारतीय पटसन निगम को सब्सिडी, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ को अनुदान तथा अंतर्राष्ट्रीय पटसन अध्ययन समूह को अंशदान देना है।

15. **सार्वजनिक उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण:** यह प्रावधान मंत्रालय के तहत रूग्ण सार्वजनिक उद्यमों जैसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम, बर्ड जूट एवं निर्यात लि. और ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन को अपने कर्मचारियों को वेतन और पारिश्रमिक और राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम के कर्मचारियों के लिए वीआरएस और सांविधिक बकायों के भुगतान के लिए संसाधनों की कमी को पूरा करने हेतु बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

16. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान:** इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।